[2018] 10 एससीआर 22

मेसर्स कोहिनूर ट्रांसपोर्टर्स

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

2018 की सिविल अपील संख्या 8338) 21 अगस्त, 2018
[दीपक मिश्रा, मुख्य न्यायमूर्ति और डॉ डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

धारा 47 - धनीय डिक्री- निष्पादन कार्यवाही- दोनों पक्षों ने अदालत की डिक्री के तहत देय राशि के संबंध में गणना के अपने- अपने बयान दायर किए- निष्पादन न्यायालय ने प्रत्युतरदाता द्वारा दायर आपत्तियों को खारिज कर दिया- प्रत्युतरदाता द्वारा संशोधन - उच्च न्यायालय ने बकाया राशि के विवरण पर विचार करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति का निर्देश दिया - अभिनिर्धारित किया गया: उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित करने के उद्देश्य से एक चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति का निर्देश देते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक कार्य किया कि क्या डिक्रेटल ऋण को संतुष्ट के रूप में चिह्नित किया जाना है- निष्पादन कार्यवाही सिविल न्यायाधीश के समक्ष लंबित है और समय-समय पर उस पर विभिन्न आदेश पारित किए गए हैं - यह मुद्दा कि क्या डिक्री का निर्वहन किया गया है या संतुष्ट किया गया है, निष्पादन न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाना है। 47. सीपीसी - निष्पादन न्यायालय को डिक्री को निष्पादित करना चाहिए, इसमें कुछ भी जोड़े बिना - प्रतिवादी की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में, अपीलकर्ता की यह दलील कि 1.25 करोड़ रुपये की शेष राशि के संबंध में एक स्वीकारोक्ति थी, को खारिज करने की मांग की गई है- ये सभी ऐसे मामले हैं जिन्हें निष्पादन कार्यवाही के दौरान ठीक से संबोधित किया जाना चाहिए - उच्च न्यायालय ने अधिक कार्रवाई की है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति का निर्देश देकर क्षेत्राधिकार, विशेष रूप से इस स्तर पर - उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है - इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षकारों के बीच विवाद 1980 के एक अनुबंध और 1984 के एक फैसले से उत्पन्न हुआ था, जिसे अभी भी निष्पादित किया जा रहा है, उच्च न्यायालय को सिविल पुनरीक्षण को तेजी से निपटाने के लिए कहा गया है।

सिविल अपीलीय अधिनिर्णय:

2018 की सिविल अपील संख्या 8338 ।

22 मेसर्स कोहिनूर ट्रांसपोर्टर्स बनाम उत्तर प्रदेश

राज्य 2016 के सीएलआर संख्या 147 में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 18.09.2017 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता के लिए अभय कुमार, सौरभ मिश्रा, हिमांशु पाल सिंह, मुकुल कुमार, एडवोकेट।

प्रतिवादी के लिए श्रीमती रचना गुप्ता, चारू सिंघल, विकास चौधरी, एडवोकेट।

न्यायालय का निर्णय:

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति 1. मध्यस्थता अधिनियम 1940 के तहत अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच एक मध्यस्थ कार्यवाही हुई। विवादों की उत्पत्ति कुछ नागरिक कार्यों के लिए 1980 के एक अनुबंध में हुई और अंततः 20 जुलाई 1984 को एक मध्यस्थ पुरस्कार के परिणामस्वरूप हुआ। इस फैसले को 30 अगस्त 1986 को सिविल जज, देहरादून द्वारा न्यायालय का नियम बनाया गया था। उत्तरांचल उच्च न्यायालय द्वारा 15 दिसम्बर, 2006 को राज्य द्वारा दायर अपील को खारिज किए जाने के बाद इस अधिनिर्णय को अंतिम रूप दिया गया है। सिविल जज ने ब्याज दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया।

2. अपीलकर्ता ने अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, देहरादून के समक्ष निष्पादन आवेदन 27/2010 के रूप में निष्पादन के लिए एक आवेदन दायर किया। निष्पादन कार्यवाही के दौरान, प्रतिवादी-राज्य ने 75,65,945 रुपये डिक्रीशुदा ऋण की राशि में जमा की। निष्पादन कार्यवाही के दौरान, अपीलकर्ता और राज्य ने अदालत के डिक्री के तहत देय राशि के संबंध में गणना के अपने संबंधित बयान दायर किए। 6 अप्रैल 2015 को, निष्पादन न्यायालय ने प्रतिवादी को 1,25,16,969.56 रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया कि यह 'स्वीकार' है। आदेश 21 नियम 41 सीपीसी के तहत प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया था, जिस पर उसने अपनी आपत्तियां दर्ज की थीं। 16 अगस्त 2016 को, निष्पादन न्यायालय ने आपत्तियों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि 1.25 करोड़ रुपये की राशि स्वीकार की गई थी, जैसा कि 6 अप्रैल 2015 के पहले के आदेश से स्पष्ट है। निष्पादन न्यायालय के आदेश के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा एक सिविल पुनरीक्षण आवेदन दायर किया गया था। निष्पादन कार्यवाही के दौरान, 3 अगस्त 2017 को एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें निर्णय देनदार को 6 अप्रैल 2015 के पहले के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें विफल रहने पर, यह कहा गया था कि "उन्हें दंडित माना जाएगा"। निष्पादन न्यायालय के इस आदेश के बाद, राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण कार्यवाही में एक स्थगन आवेदन दायर किया गया था। उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश द्वारा निम्नलिखित शर्तों में एक चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति का निर्देश दिया: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 10 एस.सी.आर.

"अत, मैं समझता हूं कि इस संबंध में सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में किसी अनुरोध के अभाव के बावजूद, न्यायालय के लिए एकमात्र सहारा यह हो सकता है कि इस मामले में एक चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति की जाए जो डिक्री धारक द्वारा किए गए दावे के अनुसार बकाया राशि के विवरण और निर्णय देनदार द्वारा प्रस्तुत विभागीय कथा में दर्शाए गए खातों के विवरण पर विचार करेगा। प्रत्येक पार्टी को दो सप्ताह के भीतर कम से कम दो चार्टर्ड एकाउंटेंट के नाम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।

3. यह उच्च न्यायालय का आदेश है जिसे वर्तमान कार्यवाही में चुनौती दी गई है।

4. 5 जनवरी 2018 को नोटिस जारी किया गया और हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी गई.

5. अपीलकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने तीन कारणों से चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति का निर्देश देने में स्पष्ट रूप से त्रुटि की:

पहला, उच्च न्यायालय ने सिविल संशोधन में चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति का निर्देश देकर अधिकार क्षेत्र से अधिक काम किया, जबकि सीपीसी की धारा 47 के तहत, डिक्री के निष्पादन, निर्वहन या संतुष्टि के संबंध में सभी प्रश्नों को किसके द्वारा निर्धारित किया जाना है? निष्पादन न्यायालय;

दूसरा, 6 अप्रैल 2015 के आदेश या निष्पादन न्यायालय के 3 अगस्त 2017 के आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गई थी, जिसमें प्रतिवादी को 1.25 करोड़ रुपये की 'स्वीकृत' बकाया राशि जमा करने की आवश्यकता थी; और

तीसरा, उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश वस्तुतः स्थगन आवेदन पर विचार करते समय अंतिम राहत देने के बराबर है।

6. दूसरी ओर, राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता अपने दावे को संशोधित करके खुद को बड़ा करने की मांग कर रहा है। जो कुछ भी देय था उसे जमा कर दिया गया है और 7 दिसंबर, 2012 तक निष्पादन न्यायालय के समक्ष 75,65,945 रुपये की राशि जमा की गई थी। यह आग्रह किया गया था कि यह निष्पादन न्यायालय के लिए डिक्री के पीछे जाने के लिए खुला नहीं है।

7. विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित करने के उद्देश्य से चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति का निर्देश देते समय अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक काम किया है कि क्या निर्धन ऋण को संतुष्ट के रूप में चिह्नित किया जाना है। **मैसर्स कोहिनूर ट्रांसपोर्टर्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [डॉ० डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति]** की कार्यवाही अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, देहरादून के समक्ष लंबित है और जैसा कि हमने देखा है, इस संबंध में समय-समय पर विभिन्न आदेश पारित किए गए हैं। डिक्री का निर्वहन किया गया है या संतुष्ट किया गया है, इस मुद्दे को सीपीसी की धारा 47 के तहत निष्पादन न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाना है। निष्पादन न्यायालय को डिक्री को निष्पादित करना चाहिए क्योंकि यह इसमें कुछ भी जोड़े बिना खड़ा है। प्रतिवादी की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में, अपीलकर्ता की यह दलील कि 1.25 करोड़ रुपये की शेष राशि के संबंध में एक स्वीकारोक्ति थी, को दूषित करने की मांग की गई है। लेकिन यह एक ऐसा मामला है जिसे इस न्यायालय को रोकने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी ऐसे मामले हैं जिन्हें निष्पादन कार्यवाही के दौरान उचित रूप से संबोधित किया जाना चाहिए। हमारे विचार में उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से इस स्तर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति का निर्देश देकर अधिकार क्षेत्र से अधिक कार्य किया है।

8. तदनुसार, हम अपील की अनुमति देते हैं और 18 सितंबर 2017 के उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को रद्द करते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पार्टियों के बीच विवाद 1980 के एक अनुबंध और 1984 के एक फैसले से उत्पन्न होता है, जिसे अभी भी निष्पादित किया जा रहा है, हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह सिविल संशोधन 147/2016 को तेजी से निपटाए। लेकिन किसी भी घटना में इस आदेश की प्रमाणित प्रति को अपने रिकॉर्ड पर रखने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर। तदनुसार, सिविल अपील का निपटान किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

देविका गुजराल की अपील निस्तारित।

Digitally signed by VIMLESH SAROJ
Date: 2023.10.27 16:04:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court